



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण
निगम, घनसाली, (टिहरी गढ़वाल) – 249155

E-mail :- eepevjalgansali@gmail.com



हर घर जल
जल जीवन मिशन

पत्रांक ५१३ / ५१० / ०९

दिनांक १६-५-२०२५

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में नगर पंचायत चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु ०.३५९ हे० का वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम घनसाली को ३० वर्षों की लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/WATER/41575/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या – 2571/FP/UK/WATER/41575/2019 दिनांक 03 जून के द्वारा चमियाला पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.359 हे० वन भूमि के प्रस्ताव में निम्नलिखित तालिकानुसार कमियां पायी गयी है। जिनका निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र मूल रूप में तालिकानुसार आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
01	State government may submit the land schedule of civil soyam land in length and breadth format.	भूमि माप (सिविल एवं सोयम भूमि) मूल रूप में संलग्न। (संलग्नक – 01)
02	It is submitted that all the muck will be utilized but mock disposal plan is not countersigned by DFO. State Government may clarify this and submit the muck disposal plan duly countersigned by the DFO.	मलबा निस्तारण प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न। (संलग्नक – 02)
03	Comments of DFO against para -6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem is not provided. State Government may provide the appropriate comments against the para 6 of Part II online.	आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
04	Plantation scheme not found uploaded. State Government may upload the plantation scheme of planting 359 tree in online portal.	वृक्षारोपण प्राक्कलन व न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न। (संलग्नक – 03)
05	Comments against para -6 i.e. 'Brief not on vulnerability of the forest area to erosion' seem inappropriate. State Government may provided the appropriate comments against the para 6 of Part II Online.	आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
06	It is seen from the data given in para -14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.	आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
07	Two components i.e. construction of Tank and pipeline is mentioned in the components wise breakup at para B 2.4 of part I but 5 components i.e. construction of intake, (ii) treatment plant MPS, Reservoir, (iii) staff quarter, (iv) pipeline and (v) sign board are mentioned in the component wise breakup submitted with the hard copy of the proposal. State Government may clarify this discrepancy.	प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण का प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न। (संलग्नक – 04)
08	The forest land involved is mentioned as 0.20 ha. Instead of 0.359 ha. in para 3 & 5 of the sub-divisional level committee proceedings.	प्रमाण पत्र मूल रूप में संलग्न। (संलग्नक – 05)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(क०एन० समवाल)
अधिशासी अभियन्ता